न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री पंकज शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
076/2017	11.09.2017	28.02.2018

अनवान

उदा पिता नारायण जाति जाट आयु 70 वर्ष निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

वादीगण

बनाम

1. बालु पिता भूरा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
2. मांगू पिता भूरा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
3. उदा पिता भूरा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
4. कंकु पुत्री पिता भूरा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
5. भैरू पिता मोहन जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
6. नारायण पिता मोहन जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
7. नारायण पिता जालम जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
8. उप पंजीयक अधिकारी महोदय, उप पंजीयक कार्यालय तहसील राशमी चित्तौड़गढ़ राज0
9. श्रीमान् तहसीलदार साहब राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री एस एस चौधारी वादी।
अधिवक्ता श्री राजमल सुखवाल प्रतिवादी।

–:: वादपत्र बाबत् घोषणा आराजीयात इन्द्राज दुरूस्ती बंटवाडा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि मौजा ग्राम

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सिंहाना पटवार हल्का सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान के बेरून हल्के आबादी में वादी के कब्जे शुदा व खरीदशुदा भूमि अवस्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 से लगयात 7 के नाम दर्ज रेकार्ड है साक्ष्य जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 पेश है। मौजा ग्राम सिंहाना पटवार हल्का सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित कृषि भूमि तत्कालीन खातेदार मोती पिता भज्जा कुम्हार निवासी सिंहाना तहसील राशमी के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो आराजी नम्बर 1128 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा लगानी 7 रूपया 50 पैसे थी उसमें खातेदार मोती पिता भज्जा से 10 बिस्वा जमीन नकल रूपये 500 रू. अक्षरे पॉच सौ रूपया में विक्रय कर रजिस्ट्री करवा दी उक्त भूमि के पडौस निम्न है पूर्व सरकारी जमीन आम रास्ता पश्चिम कुम्हार प्यारा की जमीन को उत्तर नाई हजारी जी की जमीन जो बैंच दी दक्षिण ठाकर साहब अमरसिंह जी उपरोक्त पडौसान के मध्य भूमि 10 बिस्वा पर क्रय दिनांक से ही खरीददार उदा पिता नारायण जाट का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवीदगण संख्या 1 से लगयात 7 का परिवारिक सजरा वादपत्र अनुसार है। पंजीयन पश्चात् खरीददार उदा पिता नारायण द्वारा नामान्तरकरण खुलवाये जाने हेतु ग्राम पंचायत सिंहाना में पंजीयन पत्र (रजिस्ट्री) पेश किया तो नामान्तरकरण तो भर दिया किन्तु वह खारीज कर दिया गया व इसके पश्चात् विक्रेता मोती पिता भजा कुम्हार की मृत्यु हो गई व राशमी क्षेत्र में सेटलमेंट होने लगा इस प्रकार खरीददार वादी उदा पिता नारायण जाट निवासी सिंहाना तहसील राशमी द्वारा खरीदे गये नम्बर 1128 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि खरीदी गई। उक्त आराजी नम्बर साबिक थे तथा सेटलमेंट पश्चात् नये नम्बर 1128 के 1594 बने तथा साबिक रकबे 1 बीघा 8 बिस्वा का बढा हुआ रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा हो गया है क्योंकि सेटलमेंट के पूर्व जरीब की लंबाई 152 1/2 फीट

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी,
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

थी जो वर्तमान में 132 फीटकर दी गई इससे वादी के द्वारा खरीदी गई भूमि 10 बिस्वा का भी बढा हुआ रकबा 12 बिस्वा हो गया है वादी द्वारा क्रय की गई भूमि साबिक नंबर 1128 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा जो वर्तमान में आराजी संख्या 1594 है व वर्तमान रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा बना हुआ है उसमें से वादी 12 बिस्वा भूमि अपने नाम घोषित करवाये जाने का अधिकारी होने से घोषणा का वाद पेश है। वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर वादी का खरीद दिनांक से ही विधिवत रूप से कब्जा चला आ रहा है इससे वादी अपने द्वारा क्रय की गई भूमि साबिक आराजी संख्या 1128 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि जो रजिस्टर्ड पंजीयन द्वारा दिनांक 04.04.1966 जो सेटलमेंट पश्चात वर्तमान नम्बर 1594 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा बने है उसमें से 12 बिस्वा भूमि अपने नाम घोषित करवाने का अधिकारी होने से घोषणा का वाद पत्र पेश है। वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि जिसमें से 10 बिस्वा भूमि वादी क्रद्वारा क्रय की गई उस पर वादी क्रय दिनांक से ही निर्विघ्न से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 से लगयात 7 जो तत्कालीन खातेदार मोती पिता भजा कुम्हार के प्रपोत्र होने से उक्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा है जबकि उनके पितामह द्वारा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 04.04.1966 को विक्रय कर पंजीयन करवाया गया इससे उक्त खरीदशुदा भूमि को बढे हुए रकबे सहित वादी के नाम की डिक्री जारी फरमा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के लिये इन्द्राज दुरूस्ती का वाद पत्र पेश हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि जो वादी द्वारा रजिस्टर्ड पंजीयन द्वारा क्रय की गई किन्तु वादी के नाम नामान्तरकरण नहीं खोले जाने से प्रतिवादी संख्या 1 से लगाया 7 के नाम दर्ज रेकार्ड रही जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 से 07 उक्त भूमि में आये दिन दखलन्दाजी करते है तथा नाजायज रूप

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

से परेशान रकबे की कमी बेशी को लेकर करते है इससे वादी की खरीदशुदा भूमि के बढे हुए रकबे सहित घोषित फरमा बंटवाडा किये जाने हेतु बंटवाडा आराजीयात पेश हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायात 07 के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी आये दिन दखलन्दाजी करते है तथा दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा है इससे वादी क्रय की गई भूमि वादी के नाम घोषित फरमा व कब्जे अनुसार बंटवाडा किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वे वादी की खरीदशुदा भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी रहन बह विक्रय आदि नहीं करे करावें। बिनाय मुखास्मद वाद कारण दिनांक 16.06.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाडा किये जाने से मना कर देने से पैदा होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि यह कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जावे कि मौजा ग्राम सिंहाना पटवार हल्का सिंहाना तहसील राशमी की आराजी संख्या 1128 रकबा 01 बीघा 8 बिस्वा लगानी 7.50 रुपया में से 10 बिस्वा भूमि जो वादी द्वारा रजिस्टर्ड पत्र (पंजीयन) खरीद की गई व सेटलमेंट पश्चात आराजी नम्बर 1128 के वर्तमान नम्बर 1594 बन बढा हुआ रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में से वादी 12 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर घोषणा पश्चात् राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दर्ज रेकार्ड किया जावें। पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 की खातेदार की भूमि वर्तमान नम्बर 1594 में से 12 बिस्वा भूमि का कब्जे अनुसार बंटवाडा किया जाकर प्राथमिक डिक्री व फाईनल डिक्री पारित फरमाई जावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावे कि बाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती व बंटवाडा पश्चात् वादी के हक हिस्से में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 7 किसी

न्यायालय सहायक कलेक्टर राशमी चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

प्रकार की बैजा दखलन्दाजी न तो स्वयं करे न ही अपने मित्रों रिश्तेदारों नौकर ऐजेन्टों आदि द्वारा करावें।

इस पर वादी के वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। इस पर दिनांक 04.10.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 7 तक स्वयं हाजिर आये एवं उनकी और से अधिवक्ता राजमल सुखवाल ने अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 29.01.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से लगयात 7 तक की और से इकबालिया जवाबदावा पेश हुआ जिसकी प्रति अधिवक्ता वादी को दिलवाई गई। पत्रावली में इकबालिया जवाबदावा पेश होने से तनकियात कायम नहीं की गई। दिनांक 15.02.2018 को साक्ष्यवादी में वादी का शपथ पत्र पेश हुआ एवं दस्तावेज प्रदृर्शित कराये गये। नकल जमाबंदी संवत् 2071-2074 की मौजा सिंहाना पटवार हल्का सिंहाना तहसील राशमी के खाता संख्या 303 की जो कि प्रदर्श-1 है। मूल विक्रय पत्र दिनांक 04.04.1966 जो कि दिनांक 19.04.1966 को पंजीकृत है का अवलोकन कराया एवं छाया प्रति प्रदृर्शित कराई जो कि प्रदर्श-2(अ) है। प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान खसरा आराजी संख्या 1128 की जो कि प्रदर्श-3 है। वादी ने अपने शपथ पत्र में निवेदन किया कि मौजा ग्राम सिंहाना पटवार हल्का सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान के बेरून हल्के आबादी में वादी के कब्जे शुदा व खरीदशुदा भूमि अवस्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 से लगयात 7 के नाम दर्ज रेकार्ड है साक्ष्य जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 पेश है। जो प्रदर्श-1 है। मौजा ग्राम सिंहाना पटवार हल्का सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित कृषि भूमि तत्कालीन खातेदार मोती पिता भज्जा कुम्हार निवासी सिंहाना तहसील राशमी के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो आराजी नम्बर 1128 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा लगानी 7 रूपया 50 पैसे थी उसमें खातेदार मोती पिता भज्जा से

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

10 बिस्वा जमीन नकल रूपये 500 रू. अक्षरे पॉच सौ रूपया में विक्रय कर रजिस्ट्री करवा दी उक्त भूमि के पडौस निम्न है पूर्व सरकारी जमीन आम रास्ता पश्चिम कुम्हार प्यारा की जमीन को उत्तर नाई हजारी जी की जमीन जो बैंच दी दक्षिण ठाकर साहब अमरसिंह जी उपरोक्त पडौसान के मध्य भूमि 10 बिस्वा पर क्रय दिनांक से ही मुझ/वादी का कब्जा चला आ रहा है। रजिस्ट्री दिनांक 19.04. 1966 प्रदर्श-2(अ) है। मुझ वादी द्वारा क्रय की गई भूमि 10 बिस्वा के पूर्व के आराजी नम्बर 1128 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा थी जिसमें से मुझ शपथकर्ता ने 10 बिस्वा भूमि क्रय की थी उक्त साबिक नम्बरान के सेटलमेंट के पश्चात् वर्तमान नम्बर 1594 बने तथा साबिक रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का बढा हुआ रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा हो गया क्योकि सेटलमेंट पूर्व जरीब की लम्बााई 152 1/2 फीट थी जो वर्तमान में 132 फीट कर दी गई। इससे मुझ वादी के द्वारा खरीदी गई 10 बिस्वा भूमि का भी बढा हुआ रकबा 12 बिस्वा हो गया है। इससे मुझ वादी के 12 बिस्वा भूमि अपने नाम घोषित करवाने का अधिकार होने से घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाइ जावें। मिलान खसरा प्रदर्श-3 है। मुझ वादी द्वारा खरीद दिनांक से ही मुझ वादी का कब्जा चला आ रहा है इससे उक्त वर्तमान नम्बर 1594 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में से 12 बिस्वा भूमि मुझ वादी के नाम घोषित फरमा मेरे नाम इन्द्राज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। मुझ वादी के द्वारा खरीदशुदा भूमि पर कब्जा क्रय दिनांक से ही होने से तथा भविष्य में मुझ वादी को परेशानी का सामना नहीं करना पडे इसके लिए उक्त वर्तमान नम्बर 1594 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 12 बिस्वा भूमि मुझ वादी के नाम घोषित फरमा इन्द्राज दुरूस्त कर बंटवाडा किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। उक्त क्रय शुदा भमि को मुझ वादी के नाम घोषित फरमा इन्द्राज दुरूस्ती करवा बंटवाडा पश्चात् प्रतिवादीगण उक्त भूमि

न्यायालय सहायक कलक्टर चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
रायमी, जिला-चित्तौड़गढ़

में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावें। अधिवक्ता वादी द्वारा और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 15.02.2018 को साक्ष्यवादी बंद की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा गवाह वादी से जिरह नहीं करने से जिरह वादी बंद की गई। दिनांक 26.02.2018 को अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्यप्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करने के निवेदन से शहादत प्रतिवादी बंद की गई। दिनांक 28.02. 2018 को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। बहस वादी में विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं वादी का वाद स्वीकार किये जाने की ईशतदुआ की साथ ही विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान बंटवाडे की दाद विड्रॉ की एवं वादी का वाद स्वीकार किये जाने के निवेदन के साथ अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। जवाब बहस प्रतिवादी ने इकबालिया जवाबदावा अनुसार बहस की एवं वाद वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया एवं मुताबिक वाद पत्र वादी का वाद स्वीकार किये जाने की ईशतदुआ की। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। सुनी गई बहस का मनन किया। वादी द्वारा विवादित आराजीयात साबिक आराजी संख्या 1128 रकबा 0-10 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.04.1966 से क्रय की गई जिसकी ताईद प्रदर्श-2(अ) से होती है। विवादित आराजीयात साबिक आराजी संख्या 1128 रकबा 1-08 बीघा के सेटलमेंट के पश्चात् नये नम्बर आराजी संख्या 1594 रकबा 1-15 बीघा कायम किये गये जिसकी ताईद प्रदर्श-3 से होती हैं। वर्तमान में विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक के नाम पर राजस्व रिकार्ड है जिसकी ताईद प्रदर्श-1 से होती हैं। वादी विवादित आराजीयात को विक्रय पत्र अनुसार अपने नाम पर दर्ज अंकित कराये जाने का अधिकारी है, ऐसी स्थिति विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 तक के नाम पर गलत

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ राशमी

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

दर्ज अंकित है जिसका अंकन दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा विवादित आराजीयात के बंटवाडे की दाद विड्रॉ कर ली गई है। ऐसी स्थिति में वादी की बंटवाडे की दाद खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है। जहॉ तक विवादित आराजीयात के रकबे का प्रश्न है भू प्रबंध के बाद विवादित आराजीयात 1128 रकबा 1–08 बीघा के नये नम्बर 1594 रकबा 1–15 बीघा कायम किये गये जिसकी ताईद प्रदर्श–3 से होती है, वादी द्वारा विवादित आराजीयात साबिक आराजी संख्या 1128 रकबा 1–08 बीघा में से 0–10 बीघा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.04.1966 से क्रय की गई है, इसी आधार पर वादी सेटलमेंट के बाद विवादित आराजीयात के बढे हुए रकबे के घोषणा कराना चाहता है जो निर्विवाद रुप से उचित प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में वादी अपने क्रय शुदा रकबे से भू प्रबंध के बाद बने रकबे मैसे 0–12 बीघा की घोषणा किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी अपने हक हिस्से घोषणा कराये जाने के अधिकारी होने से पक्ष वादी विरुद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा सिंहाना पटवार हल्का सिंहाना तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 1594 रकबा 1–15 बीघा का वादी 12/35 हक हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विवादित आराजीयात शेष हिस्सा 20/35 बदस्तूद अंकन यथावत रहेगा। तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर अंकन दुरुस्त किया जावें। साथ ही पक्ष वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 तक के स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 से लगायात 7 तक वादी के कब्जे

न्यायालय सहायक कलेक्टर राशमी चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

काश्त में किसी प्रकार की बैजा दखलन्दाजी नहीं करे एवं ना ही करावें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद किता शुमारी दाखिल दफ्तर रहें। यह निर्णय सरे इजलास में लिखाया जाकर आज दिनांक 28.02.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी) राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

उदा पिता नारायण जाति जाट आयु 70 वर्ष निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

वादीगण

बनाम

1. बालु पिता भूरा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
2. मांगू पिता भूरा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
3. उदा पिता भूरा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
4. कंकु पुत्री पिता भूरा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
5. भैरू पिता मोहन जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
6. नारायण पिता मोहन जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
7. नारायण पिता जालम जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी सिंहाना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
8. उप पंजीयक अधिकारी महोदय, उप पंजीयक कार्यालय तहसील राशमी चित्तौड़गढ़ राज0
9. श्रीमान् तहसीलदार साहब राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता श्री एस एस चौधारी वादी।
अधिवक्ता श्री राजमल सुखवाल प्रतिवादी।

-:: वादपत्र बाबत् घोषणा आराजीयात इन्द्राज दुरुस्ती बंटवाडा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::-

प्रकरण संख्या :- 076/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रुबरु श्री एस एल चौधरी अधिवक्ता वादी श्री राजमल सुखवाल अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा सिंहाना पटवार

न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

हल्का सिंहाना तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 1594 रकबा 1-15 बीघा का वादी 12/35 हक हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विवादित आराजीयात शेष हिस्सा 20/35 बदस्तूद अंकन यथावत रहेगा। तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर अंकन दुरूस्त किया जावें। साथ ही पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 तक के स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 से लगयात 7 तक वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बैजा दखलन्दाजी नहीं करे एवं ना ही करावें। पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय सरे इजलास में लिखाया जाकर आज दिनांक **28.02.2018** को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
(पकज शर्मा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़
राशमी

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी, चित्तौड़गढ़

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(पंकज शर्मा)
(पंकज शर्मा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official